श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति</u> : उपस्थिति पंजी में संधारित।

<u>कार्यवाही</u>

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

1. <u>शिक्षा</u> :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विद्यालयों का पूर्व में कराये गये निरीक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन शनिवार को निदेशित समय पर उपस्थापित करेंगे।

महारानी उषारानी मध्य विद्यालय, डुमरांव में विगत तीन वर्षो से छात्रवृत्ति की राशि भुगतान नहीं होने के मामले में कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह छात्रवृत्ति वितरण की भी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा प्रोटोकॉल डयूटी में प्रतिनियुक्ति के कारण इस बैठक में अनुपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अगामी सभी बैठकों पूर्ण जानकारी के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में वर्ग एक में कुल रिक्ति का 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन की समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बताया गया 98 रिक्ति के विरूद्ध 85 छात्रों का नामांकन किया गया है।

शिक्षकों के पे–फिक्सेशन की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी शिक्षकों का पे–फिक्सेशन किया जा चुका है।

विगत बैठक में सभी छात्रों का अंग्रेजी में डाटा बेस बनवाने का निदेश दिया गया था, इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस कार्य में प्रगति लाते हुए छात्रों का डाटाबेस शीघ्र तैयार कराना सुनिश्चित करें।

मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की समीक्षा की गई। इस क्रम में पाया गया कि दिनांक 18.06.2018 को दिये गये निदेश के बावजूद काफी विलम्ब से, दिनांक 23.06.2018, 25.06.2011, 29.06.2018 एवं 01.7.2018 को, प्राथमिकी दर्ज कराये गये है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(अनु0: जिला शिक्षा पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी)

2. <u>MJC/CWJC</u> :– MJC/CWJC के लम्बित मामलों की समीक्षा की गई। **MJC** के 8, **LPA** के 04, **CWJC** के 120 एवं **CrWJC** के 08 मामले विभिन्न कार्यालयों में लम्बित पाये गये। **MJC** के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 05, उप विकास आयुक्त के कार्यालय, जिला भू–अर्जन कार्यालय एवं जिला परिषद कार्यालय में 01–01 मामले लंबित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यालय में **CWJC** के 120 मामले लम्बित है। इनमें सबसे अधिक जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं भू–अर्जन कार्यालय में 12–12 मामले लम्बित है।

लम्बित मामलों के संबंध में उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में लम्बित **MJC** के एक मामले में आदेश पारित किया गया है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा **MJC** के 03 मामलों में शपथ लेने के बारे में जानकारी दी गई है। सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को उनके कार्यालय में लम्बित **MJC/CWJC** से अवगत कराया गया तथा निदेशित किया गया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए तथ्य विवरणी तैयार करायें तथा अनुमोदनोपरान्त ओथ दायर करना सुनिश्चित करें। जिन मामलों में ओथ दायर हो चुका है, उसका ओथ संख्या विधि शाखा को अविलम्ब उपलब्ध करायें अन्यथा उक्त मामले संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय में लम्बित माने जायेंगे तथा कार्य में शिथिलता के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(अनु0: सभी संबंधित पदाधिकारी)

3. <u>**सात निश्चय**</u> :–

(I) <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रगण्डल</u> :–

हर घर नल का जल योजना की समीक्षा की गई। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि पूर्व के लक्ष्य में विभाग के स्तर से संशोधन हुआ है तथा अब कुल 73 पंचायतों के 1048 वार्डो में कराया जाना है। जिसके अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के दिशा निदेश पर 302 वार्ड, आर्सेनिक प्रभावित 302 वार्ड एवं पूर्व से निर्मित/निर्माणाधीन ग्रामीण/बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित होन वाले 444 वार्ड में कार्य कराया जाना है। 72 वार्डो के लिए कार्यादेश निर्गत है तथा इनमें से 21 वार्डो में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 521 वार्ड का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है। निदेशित किया गया कि जिन वार्डो में कार्यादेश निर्गत है, उनमें संबंधित एजेंसी के माध्यम से शीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0अभि0प्र0, बक्सर)

(II) <u>**हर घर बिजली लगातार**</u> :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि विगत माह में कुल 1380 कनेक्शन दिया गया है तथा अभी भी लगभग 42000 घरों में कनेक्शन दिया जाना अवशेष है। विभाग के स्तर से कैम्प आयोजित कर कनेक्शन में तेजी लाने के निदेश के आलोक में कार्रवाई की पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि भोजपुर जिला में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करने हेतु यहाँ के मानवबल को भेजा गया था, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले दो माह में शतप्रतिशत घरों में कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में पंचायतों में कैम्प का आयोजन कर कनेक्शन उपलब्ध करायें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना)

4. <u>भवन प्रमण्डल</u> :– परिवहन विभाग के भवन निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि दो दिनों में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। निबंधन कार्यालय, बक्सर के भवन निर्माण के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि अनुमोदन हेतु विभाग में भेजा गया है।

शिक्षा विभाग का भवन निर्माण कराया जाना है। इसके संबंध में कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिक्षा विभाग के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु कोई अधियाचना भी नहीं भेजी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस हेतु अधियाचना समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्हें निदेशित किया गया कि कवलदह स्थित विज्ञान भवन में संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए उक्त भवन को तत्काल खाली करायें ताकि उसका उद्‌देश्यों के अनुरूप उपयोग हो सके।

अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर का भवन निर्माण किया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सर्वे आदि होने के बावजूद विगत तीन माह में अनुमण्डल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई तथा कार्यपालक अभियंता को अनुमण्डल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन बनाने एवं अन्य कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि जिला परिषद, बक्सर के डाकबंगला के कंडम घोषित करने के संबंध में निरीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर/जिला शिक्षा पदाधिकारी)

5. <u>कल्याण विभाग</u> :– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना के आलोक में वांछित राशि विभाग से प्राप्त हो गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त राशि का शीघ्र वितरण करना सुनिश्चित करें।

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियमानुसार शीघ्र नियुक्ति कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0: जिला कल्याण पदाधिकारी)

6. <u>निबंधन</u> :– राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की गई। जिला अवर निबंधक के द्वारा बताया गया कि जून माह के लक्ष्य का 93 प्रतिशत वसूली हुई है। जिला अवर निबंधक के द्वारा बताया गया कि विगत माह में शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई थी।

7. <u>गृह रक्षा वाहिनी</u> :– ई–कमान निर्गत करने की समीक्षा की गई। इस क्रम में पाया गया कि कुल 731 गृहरक्षक कार्यरत है, परन्तु इनके डाटा बेस तैयार कराने में लापरवाही बरती गई है तथा एक ही आई0डी0 नम्बर कई गृहरक्षकों को दिया गया है। तटबंध पर प्रतिनियुक्ति हेतु अभी तक 52 गृहरक्षकों को भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उप विकास आयुक्त को जिला समादेष्टा के कार्यो की समीक्षा कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को जिला समादेष्ट के कार्यालय में वित्तीय अनियमितता के मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0: प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा/उप विकास आयुक्त)

8. <u>मध्याह्न भोजन योजना</u> :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना के बारे में किसी सरकारी कार्य से मुख्यालय से बाहर होने की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दी गई। बैठक में बताया गया कि 4 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है। विभाग के स्तर से दूरभाष पर मध्याह्न भोजन बनाने की समीक्षा की जाती है तथा इस क्रम में 25 विद्यालयों के प्रधनाध्यापक के द्वारा अपना मोबाईल रिसिव नहीं किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इसकी समीक्षा करें तथा प्रधानाध्यापकों से कारण पृच्छा करें।

(अनु0: जिला शिक्षा पदाधिकारी)

9. <u>सामाजिक सुरक्षा</u> :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी 10392 पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है। यह काफी बड़ी संख्या है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर पर लगातार त्रुटि सुधार का कार्य चल रहा है। कैम्प के बावजूद इतने अधिक पेंशनधारियों को पेंशन प्राप्त नहीं होना अत्यंत ही गंभीर मामला है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेशित किया गया कि कैम्प आयोजित कर विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करायें ताकि अधिक–से–अधिक लोगों को जानकारी हो तथा पेंशनधारी इस कैम्प में पहुँच कर त्रुटि निराकरण करायें।

(अनु0 : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा)

10. <u>खनन</u> :– खान निरीक्षक के द्वारा बताया गया कि जून माह में 118 ट्रक पकड़े गये हैं तथा उनसे 5821000.00 रुपये वसूले गये हैं। मासिक लक्ष्य के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि 04.00 लाख रुपये का मासिक लक्ष्य है। निदेशित किया गया कि इससे संबंधित पत्र अवलोकनार्थ समर्पित करें। खान निरीक्षक का कार्य असंतोषजनक है। उन्हें निदेशित किया गया कि अधिक–से–अधिक जांच करें तथा अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई करें।

(अनु0: खान निरीक्षक)

11. <u>आपूर्त्ति</u> :– कालाबाजारी के विरूद्ध छापेमारी की समीक्षा की गई। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। छापेमारी की प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा अनमण्डल पदाधिकारी एवं आपूर्त्ति निरीक्षकों के माध्यम से बड़े गोदामों में सघन छापेमारी कराने का निदेश दिया गया।

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई तथा इस क्रम में CMR जमा नहीं करने वाले पैक्सों पर कार्रवाई करने का निदेश दिय गया।

जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को नये लाईसेंस निर्गत करने की समीक्षा की गई। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नये मार्गदर्शिका के आलोक मेधा सूची बनाये जाने हेतु अनुमण्डल के स्तर पर कुछ समय की मांग की जा रही है। निदेशित किया गया कि दोनों अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित कर इस कार्य में तेजी लायें तथा बैठक आहूत कर नये लाईसेंस निर्गत करायें।

(अनु0: अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव / जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी)

12. <u>स्वास्थ्य</u> :– सिविल सर्जन, बक्सर न्यायालय कार्य से पटना गये थे। उपाधीक्षक को निदेशित किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनसेट लगाये जाने की समीक्षा करें तथा जहाँ अब तक जेनसेट नहीं लगा है, वहाँ संबंधित एजेंसी से शीघ्र जेनसेट लगवायें। अन्य विषयों पर उपाधीक्षक को जानकारी के अभाव के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि अगामी बैठकों में जिला स्वास्थ्य प्रबंधक को भी उपस्थित रहने हेतु सूचित करें।

सदर अस्पताल, बक्सर में पानी निकासी हेतु पाईप की मरम्मति कराने की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि पाईप की मरम्मति करा दी गई है। निदेशित किया गया कि अस्पताल का रंग–रोगन भी कराना सुनिश्चित करें।

(अनु०: कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/सिविल सर्जन)

13. <u>लोकायुक्त मामले</u> :– लोकायुक्त कार्यालय के लम्बित मामलों की समीक्षा की गई। विकास शाखा में 02, प्रोग्राम शाखा में 01, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 03, राजस्व शाखा में 03, योजना शाखा में 01, डी0आर0डी0ए0 कार्यालय में 02 मामला कुल 12 मामले लम्बित है।

ग्राम पंचायत करहंसी के मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध पंचायत शिक्षक नियोजन 2008 के संबंध में विकास शाखा को अनुपालन हेतु भेजा गया है। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग से नियमावली एवं अन्य कागजात अब तक अप्राप्त है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को वांछित कागजात विकास शाखा को अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

चौसा सोलर लाईट के मामले में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई चल रही है तथा अब DW निर्गत किया जाएगा। सभी प्रक्रिया इसकी सुनवाई की अगली तिथि तक पूर्ण कर ली जाएगी।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनके कार्यालय में लोकायुक्त के लम्बित मामलों के आलोक में कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०: प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा/प्रभारी पदाधिकारी,राजस्व शाखा/ जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी)

14. <u>विभागीय कार्यवाही</u> :– विभिन्न संचालन पदाधिकारियों के पास लम्बित विभागीय कार्यवाही में प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 09 कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन भेजें। स्थापना उप समाहर्त्ता सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस हेतु स्मारित करेंगे।

(अनु०: सभी संबंधित पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्त्ता)

15. <u>सेवान्त लाभ</u> :– समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनके कार्यालय में लम्बित सेवान्त लाभ के मामले से अवगत कराते हुए संबंधित सेवानिवृत कर्मियों को नियमानुसार सेवान्त लाभ का शीघ्र भुगतान करने का निदेश दिया गया।

(अनु०: सभी संबंधित पदाधिकारी)

16. <u>पथ प्रमण्डल</u> :– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर का जिला में नया पदस्थापन हुआ है। उन्हें निदेशित किया गया कि अपने प्रमण्डल के सम्पूर्ण पथों का निरीक्षण करें तथा मरम्मति आदि कार्य करायें। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पथ निर्माण विभाग से संबंधित पथों का मरम्मति कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर)

17. <u>बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल</u> :– गंगा नदी के जल स्तर के संबंध में सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के द्वारा बताया गया कि आंशिक वृद्धि हो रही है, परन्तु उत्तर भारत के राज्यों में लगातार वर्षा होने के कारण एक सप्ताह में तेजी से पानी बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में गंगा नदी का जल स्तर 48.72 मीटर है जो खतरे के निशान 60.32 मीटर से अभी काफी नीचे है।

बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष अधिष्ठापित किये जाने की समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में नियंत्रण कक्ष 24x7 उनके कार्यालय में कार्यरत है। निदेशित किया गया कि आदेश की प्रति आपदा शाखा को उपलब्ध करायें।

नैनीजोर में बिहार घाट के पास कटाव की सूचना के संबंध में सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसकी जांच हेतु टीम आज वहां गयी है। उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि उक्त स्थल को स्वयं भ्रमण कर स्थिति से अवगत करायेंगें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण/उप विकास आयुक्त)

18. <u>उत्पाद</u> :– समीक्षा के क्रम में उत्पाद अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि 01.06.2018 से 30.06.2018 तक कुल 114 छापेमारी की गई है, जिसके विरूद्ध 23 वाद दायर किये गये हैं तथा 18 व्यक्तियों को मद्य निषेध के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा गया है। विदेशी शराब 246.18 ली0, अ0चु0श0 05.00 लीटर, अ0म0दे0श0 02. 00 लीटर जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 01 मारूती सुजकी एवं 01 मोटर साईकिल जब्त किया गया है। निदेशित किया गया कि सघन छापेमारी करें।

(अनु0: उत्पाद अधीक्षक)

19. <u>आपदा</u> :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को निदेशित किया गया कि चूड़ा/गुड़ एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की दर शीघ्र निर्धारित करायें।

(अनु0: जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

R. [signature] 16/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10.2268 /गो0 बक्सर दिनांक 16.07 2018

प्रतिलिपिः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमराँव/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पथ/सभी कार्यपालक अभियंता, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमराँव/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/ जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, RTPS/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी–सह–मेंटर्स/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।